University in News on 16 October 2023

AMAR UJALA MY CITY PAGE 5

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विवि ने जीती मूट कोर्ट प्रतियोगिता

माई सिटी रिपोर्टर

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने दिया निर्णय, विद्यार्थियों को बताईं कानून की बारीकियां

लविवि में मूट कोर्ट में विजयी टीम के साथ मौजूद शिक्षक। संवाद

लखनऊ। लखनऊ विवि के विधि संकाय की ओर से आयोजित चौथी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली की टीम ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के तीसरे दिन सेमी फाइनल और फाइनल का आयोजन हुआ। अंतिम दौर का निर्णय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) और बीबीएयू की डीन विधि संकाय प्रोफेसर प्रीति मिश्रा ने किया।

लविवि के विधि संकाय के डीन प्रो. बीडी सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 35 टीमों ने भाग लिया। प्रारंभिक दौर के दो चरणों में मूल्यांकन के बाद, क्वार्टर फाइनल के लिए आठ टीमों का चयन किया गया। इसके बाद चार टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। ये टीमें एनएलयू (सोनीपत), गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (दिल्ली) कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी (बंगलूरू) थीं। अंत में फाइनल राउंड का मुकाबला कलिंगा यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की टीमों के बीच हुआ। प्रतियोगिता में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की टीम विजयी रही। विजेता टीम की सदस्य नियति पांडे, मान्या अरोड़ा और माधवी तिवारी रहीं। कलिंगा यूनिवर्सिटी की उपविजेता टीम की सदस्य कोमल पांडे, मिताली ठाकुर और प्रेरणा बोरकर रहीं। सर्वश्रेष्ठ वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के निखिल गोयल रहे। बेस्ट रिसर्चर अचल नितेंद्र वीएम सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, गोवा रहे। बेस्ट मेमोरियल का पुरस्कार शासकीय न्यू लॉ कॉलेज, इंदौर की टीम को दिया गया, जिसमें नियति रविकर, मोहित चौहान, वंश चौहान शामिल थे। शिक्षक समन्वयक डॉ. राधेश्याम प्रसाद ने सभी को धन्यवाद दिया।

■ **जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं कानून के छात्र :** न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने कहा कि कानून के छात्र जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। इसका कारण है कानून का समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढलना। न्यायमूर्ति डॉ. देवेन्द्र कुमार अरोड़ा ने कहा कि कानून का पेशा काफी हद तक छात्र जीवन से ही मानदंडों के पालन पर निर्भर करता है। विशिष्ट अतिथि प्रो. डॉ. प्रीति मिश्रा ने वंचितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।

कॉलेजों में दाखिले की समय सीमा समाप्त

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन से सहयुक्त डिग्री कॉलेजों में दाखिले का अंतिम मौका रविवार को समाप्त हो गया। लविवि प्रशासन ने रविवार रात 12 बजे लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (लर्न) पोर्टल बंद कर दिया। किसी भी कॉलेज में दाखिले के लिए लर्न की अनिवार्यता रखी गई है।

कॉलेजों की मांग पर लविवि प्रशासन ने लर्न के पंजीकरण के लिए 12 से 15 अक्तूबर के बीच चार दिन का मौका दिया था। लविवि ने इसी साल से दाखिले से पहले पंजीकरण संख्या की अनिवार्यता रखी है। इसके तहत 100 रुपये फीस देकर पंजीकरण संख्या हासिल करनी है। यह संख्या डालने के बाद ही विद्यार्थी का दाखिला मान्य होगा। लविवि ने इसके पीछे विद्यार्थियों का डाटा लेने का तर्क रखा है। पंजीकरण संख्या होने पर सभी विद्यार्थियों का बेसिक डाटा विवि के पास मौजूद होगा। (माई सिटी रिपोर्टर)

JAGRAN CITY PAGE III

गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय की टीम ने जीती मूट कोर्ट प्रतियोगिता

जासं, लखनऊ: लवि के विधि संकाय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। आखिरी दिन फाइनल राउंड का मुकाबला कलिंगा विश्वविद्यालय व गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की टीमों के बीच हुआ। प्रतियोगिता में गुरु गोबिंद सिंह विश्वविद्यालय की टीम विजयी रही। सर्वश्रेष्ठ वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के निखिल गोयल बने।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की विजेता टीम की सदस्य नियति पांडे, मान्या अरोड़ा और माधवी तिवारी थीं। कलिंगा यूनिवर्सिटी की उपविजेता टीम की सदस्य कोमल पांडे, मिताली ठाकुर और प्रेरणा बोरकर थीं। बेस्ट रिसर्चर गोवा के वीएम सालगांवकर कालेज के अचल नितेंद्र रहे। बेस्ट मेमोरियल का पुरस्कार शासकीय न्यू ला कालेज, इंदौर की टीम को दिया गया, जिसमें नियति रविकर, मोहित चौहान, वंश चौहान शामिल थे।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान, उप्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) और बीबीएयू के विधि संकाय की डीन प्रोफेसर प्रीति मिश्रा ने विजेता टीम को ट्राफी और 15 हजार रुपये तथा उप विजेता टीम को 10 हजार रुपये के साथ सम्मानित किया। इस अवसर पर लवि के विधि संकाय के डीन प्रोफेसर बीडी सिंह, शिक्षक समन्वयक डा. राधेश्याम प्रसाद ने विजेताओं को बधाई दी।

LOKSATYA PAGE 3

मूट कोर्ट प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत

लखनऊ, लोकसत्य

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की ओर से चौथी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता हुई। तीसरे दिन सेमी-फ़ाइनल, फ़ाइनल और समापन समारोह हुआ।

प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 35 टीमों ने भाग लिया। प्रारंभिक दौर के 2 चरणों में कठोर मूल्यांकन के बाद, क्वार्टर-फ़ाइनल के लिए 8 टीमें चयनित हुई। 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। ये टीमें एनएलयू (सोनीपत), गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बंगलुरू थीं। अंत में फाइनल राउंड का मुकाबला कलिंगा यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की टीमों के बीच हुआ। प्रतियोगिता में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की टीम विजयी रही। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की विजेता टीम की सदस्य नियति पांडे, मान्या अरोड़ा और माधवी तिवारी थीं।

कलिंगा यूनिवर्सिटी की उपविजेता टीम की सदस्य कोमल पांडे, मिताली ठाकुर और प्रेरणा बोरकर थीं। सर्वश्रेष्ठ वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के निखिल गोयल रहे। बेस्ट रिसर्चर अचल नितेंद्र वी. एम. सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, गोवा रहे। बेस्ट मेमोरियल का पुरस्कार शासकीय न्यू लॉ कॉलेज, इंदौर की टीम को दिया गया, जिसमें नियति रविकर, मोहित चौहान, वंश चौहान शामिल थे।अंतिम दौर का निर्णय हाईकोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस डॉ. देवेन्द्र कुमार अरोड़ा, डीन, विधि संकाय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रीति मिश्र ने किया।